<u>न्यायालय :– अपर सेशन न्यायाधीश क्रम– 2, श्रीगंगानगर।</u>

पीठासीन अधिकारी	:–	कमल लोहिया, RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	:–	24/2025
CIS No.	:–	88/2025
CNR No.	:–	RJSG010016382025

राजस्थान राज्य

विरुद्ध

(1) रविंद्र यादव उर्फ कलू पुत्र श्री गंगा सिंह यादव, उम्र 32 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी वार्ड संख्या 2, बाल मंदिर स्कूल के पास, देवनगर ,पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

(2) गंगा सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह, उम्र 62 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी वार्ड संख्या 2, बाल मंदिर स्कूल के पास, देवनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

(3) अमृतपाल उर्फ बड़े लाल पुत्र शयम्बर गुप्ता, उम्र 46 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी वार्ड संख्या 2, देवनगर नर्सरी के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

(4) दीपक यादव पुत्र गंगा सिंह यादव, उम्र 38 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी वार्ड संख्या 2, बाल मंदिर स्कूल के पास, देवनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

(5) लखन पुत्र मेघ सिंह, उम्र 62 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी वार्ड संख्या 2, बाल मंदिर स्कूल के पास, देवनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

(6) अजय कुमार पुत्र शियम्बर गुप्ता, उम्र 36 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी वार्ड संख्या 1, गली नं. 5 मेन रोड़, देवनगर ,पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

(7) सतीश उर्फ सतिया पुत्र हरीचंद, उम्र 36 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी वार्ड संख्या 2, बाल मंदिर स्कूल के पास, देवनगर ,पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

(8) सूरज पुत्र सुदामा, उम्र 19 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी वार्ड संख्या 1 गली नम्बर 2, आजाद नगर, पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर।

(9) आशुतोष पुत्र इंद्रमणी, उम्र 35 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी वार्ड संख्या 1 आजाद नगर गली नम्बर 3, पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर।

(10) रावल कुमार उर्फ राहुल पुत्र डोमन उर्फ डोबल, उम्र 21 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी वार्ड संख्या 2, बाल मंदिर स्कूल के पास, देवनगर ,पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

(11) रामू पुत्र रमेश, उम्र 32 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी मकान संख्या 22 शिव कॉलोनी बंद गली बस स्टेण्ड के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

(12) हरविंद्र पुत्र महावीर, उम्र 33 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी वार्ड संख्या 2, बाल मंदिर स्कूल के पास, देवनगर ,पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

(13) विक्रम पुत्र बुधनदास, उम्र 23 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी वार्ड संख्या 1, देवनगर, पुलिस थाना पुरानी आबादी, जिला श्रीगंगानगर।

CNR No. RJSG010016382025

(14) रामदेव पुत्र दिनेश दास, उम्र 21 साल (गिरफ्तारी के समय), निवासी वार्ड संख्या 1, केदार बस्ती, देवनगर नर्सरी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

(15) लक्ष्मी देवी पत्नी गंगा सिंह, निवासी वार्ड संख्या 2, बाल मंदिर स्कूल के पास, देवनगर ,पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

(16) माला देवी पत्नी दीपक, निवासी वार्ड संख्या 2, बाल मंदिर स्कूल के पास, देवनगर ,पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

(17) सोना देवी पत्नी अमृतलाल उर्फ बड़ेलाल, निवासी वार्ड संख्या 2, देवनगर नर्सरी के पास पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (आदेश बाबत आरोप विरचना)

प्रतिनिधित्व:–

01. राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता श्री विजेंद्र कुमार अग्रवाल।
02. अभियुक्त संख्या 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15 व 16 की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री प्रेम खीचड़, श्री सीताराम बिश्नोई, श्री मुकेश चोपड़ा, श्री रोबिन कुमार, श्री नरेंद्र।
03. अभियुक्त संख्या 6 की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री आशीष व्यास एवं सुश्री अंजली रावण।
04. अभियुक्त संख्या 3, 8 व 17 की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री हंसराज तनेजा, सुश्री गुरविंद्र कौर, श्री प्रदीप तनेजा, श्री गिरधर मिड्ढा एवं सुश्री मनप्रीत कौर।
05. अभियुक्त संख्या 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बंसल।
06. अभियुक्त संख्या 13 की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री पंकज कटारिया एवं श्री रामचंद्र
07. अभियुक्त संख्या 14 की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री उमेश चौधरी एवं श्री कुंदनलाल जोशी।

न्यायालय द्वाराः–

– आदेश –

दिनांक– 17.03.2026

01– अभियुक्त रविंद्र उर्फ कल्लु की ओर से जरिये अधिवक्ता दिनांक 30.01.2026 को एक प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 121(2), 132, 324(2), 190, 191(2), 191(3) भारतीय न्याय

संहिता व धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में चालान पेश किया गया था एवं उक्त धाराओं में से धारा 121(2) भारतीय न्याय संहिता सेशन ट्रायल होने से उक्त प्रकरण को माननीय सेशन न्यायालय में कमिट किया गया है। पत्रावली में चोट प्रतिवेदन में आहत विकास, कुलदीप सिंह व सुखजीवन कुमार के आई चोटों का अवलोकन से प्रकट होता है कि उनके आई चोटें केवल साधारण हैं जो कि घोर उपहति की श्रेणी में नहीं आती हैं। प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं होकर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, जिसे विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करने का निवेदन किया गया।

उक्त प्रार्थनापत्र का कोई जवाब विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से पेश नहीं किया गया।

02– प्रार्थनापत्र बाबत बहस व बहस चार्ज उभय पक्ष सुनी गई। अभियुक्त/प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अंकित तथ्यों को ही तर्कों के रूप में दोहराते हुए बहस के अंतर्गत संयुक्त रूप से पक्षकथन किये गये कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 121(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध का आरोप प्रथम दृष्ट्या ही प्रमाणित नहीं होता है किसी भी मजरूब के कोई गम्भीर उपहति कारित नहीं हुई है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 121(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध का आरोप विरचित किये जाने के प्रथम दृष्टया कोई आधार अभिलेख पर नहीं है व अभियुक्तगण को उक्त आरोप से उन्मोचित किये जाने एवं शेष आरोप दंडनायक न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य होना व्यक्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने मजरूबाण के कोई गम्भीर उपहति नहीं होना स्वीकार करते हुए अभिलेख पर विद्यमान सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत आरोपपत्र अनुसार आरोप विरचित किये जाने का निवेदन किया।

03– उभय पक्ष के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का अध्ययन किया गया।

CNR No. RJSG010016382025

04– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 10.03.2025 को राजवीर एच.सी. 57, पुलिस थाना पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना पुरानी आबादी श्रीगंगानगर के समक्ष मुकदमा दर्ज करवाने बाबत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए उसमें अंकित किया कि–

"उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आज दिनांक 09.03.2025 को वक्त 8.32 पीएम पर मन राजवीर सिंह एचसी 57 मय श्री विकास कानि. 563 मय जीप सरकारी ड्राईवर श्री कुलदीप सिंह 634 के वास्ते करने गस्त रवाना इलाका थाना को हुआ। इलाका थाना में गस्त की गई दौराने गस्त देवनगर में 8 पीएम के बाद शराब बिकने की सूचना मिलने पर मन एचसी मय स्टाफ के देवनगर पहुंचा जहाँ पर सूचनाकर्ता रविन्द्र यादव पुत्र गंगा सिह यादव उपस्थित मिला जिसने बताया कि देवनगर में स्थित शराब ठेके पर 8 बजे बाद शराब बेची जा रही थी। मौका पर शराब ठेका चैक किया गया तो बन्द था। रविन्द्र यादव ने बताया कि मैंने ठेके को जबरदस्ती बन्द करके ताला लगाया है। इसी दौरान मौका पर राजकुमार तथा राम पुत्रगण प्रेम नायक, कन्हैयालाल व गुलशन कुमार सैल्समेन के साथ उपस्थित आये। राम व राजकुमार ने बताया कि हमें सैल्समेन कन्हैयालाल ने फोन करके बताया कि रविन्द्र यादव ने जबरदस्ती ठेके को 8 बजे से पूर्व ही बन्द करने लगा विरोध करने पर गुलशन कुमार का मोटरसाईकिल तोड़ दिया तथा ठेके को ताला लगा दिया ओर कहने लगा कि 8 बजे के बाद देवनगर में शराब मैं बेचूंगा। जिस पर रविन्द्र यादव से मन एचसी व स्टाफ ने इस सम्बंध में पूछताछ की तो पुलिस स्टाफ के सामने रविन्द्र यादव, आसू उर्फ इन्द्रमणी पासवान, विक्रम, दीपक उर्फ लंगड़ा पुत्र गंगासिंह सभी ने राम वगैरा पर अचानक हमला कर दिया तथा उनके साथ मारपीट करने लगे मन एचसी व स्टाफ ने बीच बचाव किया तो उन्होने पथरावं शुरू कर दिया। शोर सुनकर उनके परिवार के सदस्य श्रीमति लक्ष्मी, माला, सोनादेवी व आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गये तथा आपस में मारपीट व झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान रविन्द्र यादव ने पिस्टल हवा में लहराई ओर कहा कि गोली मार दूंगा। इसी दौरान बड़ेलाल उर्फ अमृतपाल, गंगा सिंह, अजय कुमार, सतीश नायक, लखन सिंह, सूरजमल्ला, आशुतोष पासवान, राहुल पासवान, हरविन्द्र उर्फ कडू यादव व अन्य लोगों के साथ मौका पर आ गया। अमृतलाल व उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया तथा राजकार्य में

बाधा उत्पन की इस दौरान विकास कानि. 563 व कुलदीप कानि. ड्राईवर 634 के चोट लगी व सरकारी जीप का आगे का मुख्य शीशा टूट गया। मौका से पुलिस इमदाद हेतु कॉल किया तो पुलिस थाना से श्री महेन्द्र कुमार सउनि, श्री धर्मपाल एचसी 103, श्री रामलाल एचसी 10, श्री गुरमेल सिंह एचसी 90, श्री आत्माराम कानि 1351, श्री मनीष कानि 501, श्री जयप्रकाश कानि 2105 व श्री नरेन्द्र कानि. मय 112 गाड़ी ड्राईवर श्री सुखजीवन के पुलिस इमदाद हेतु उपस्थित आये। इसी दौरान बीच बचाव करते समय श्री सुखजीवन 112 गाड़ी चालक की छाती पर ईन्ट की चोट लगी। मौका पर कन्ट्रोल रूम से आरएसी का जाब्ता बुलाया जाकर शान्ति व्यवस्था कायम की गई तथा मौका पर पथराव व मारपीट कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने काबू किया। रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जावे।"

उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर आरक्षी केन्द्र पुरानी आबादी , श्रीगंगानगर पर प्राथमिकी संख्या 83/2025 संस्थित की जाकर बाद अनुसंधान दिनांक 24.09.2025 को जरिये अभियोजन अधिकारी विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, श्रीगंगानगर के समक्ष अभियुक्तगण (1)रविंद्र यादव उर्फ कलू (2) गंगा सिंह (3) अमृतपाल उर्फ बड़े लाल (4) दीपक यादव (5) लखन (6) अजय कुमार (7) सतीश उर्फ सतिया (8) सूरज (9) आशुतोष (10) रावल कुमार उर्फ राहुल (11) रामू (12) हरविंद्र (13) विक्रम (14) रामदेव (15) लक्ष्मी देवी (16) माला देवी एवं (17) सोना देवी के विरुद्ध अपराध धारा 121(2), 132, 324(2), 190, 191(2)(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट में चालान पेश किया गया। उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर में उपार्पित किया गया, जहाँ से प्रकरण विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पंजीबद्ध किया गया।

05– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 121(2), 132, 324(2), 190, 191(2)(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट के अपराधांतर्गत आरोप पत्र पेश किया गया

है जबकि अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि मजरूबाण में से किसी के भी कोई गम्भीर उपहति कारित नहीं होने के कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 121(2), भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध को विरचित करने का कोई आधार पत्रावली पर नहीं है।

06– अब न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 132, 324(2), 190, 191(2)(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट के साथ–साथ धारा 121(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराधांतर्गत आरोप विरचित किये जाने के आधार पत्रावली पर उपलब्ध हैं?

07– उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से पुलिस पार्टी के साथ हुए घटनाक्रम बाबत बाद अनुसंधान प्रस्तुत किये गये आरोप पत्र का अवलोकन करते हैं तो प्रकट होता है कि मौके पर घटित हुई घटना बाबत बाद अनुसंधान आरोप पत्र में अनुसंधान अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित पाया जाना अंकित किया गया है कि मजरूब विकास कानि के एक चोट सिम्पल ब्लंट, मजरूब कुलदीप डीआर के दो चोट सिम्पल ब्लंट तथा मजरूब सुखजीवन के दो चोट सिम्पल ब्लंट आना आई.आर. में अंकित है।

08– अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोप पत्र में अंकित किये गये उक्त तथ्यों बाबत जब हम पत्रावली पर उपलब्ध उक्त मजरूबाण के चोट प्रतिवेदन पत्र का अवलोकन करते हैं तो उक्त चोट प्रतिवेदन प्रपत्र से स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष यह प्रकट होता है कि मजरूब विकास के कुल एक चोट जो कि साधारण प्रकृति की होकर कुंदालाय कारित है, मजरूब कुलदीप सिंह के कुल दो चोटें जो कि साधारण प्रकृति की होकर कुंदालाय कारित हैं तथा इसी प्रकार मजरूब सुखजीवन कुमार के कुल दो चोटें जो कि साधारण प्रकृति की होकर कुंदालाय कारित होने के तथ्य प्रथम दृष्ट्या ही पत्रावली पर उपलब्ध हैं।

09– अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने वाले अपराध के आरोप एवं अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से दौरान बहस प्रस्तुत किये गये तर्कों के मद्देनजर पत्रावली पर उपलब्ध उक्त दस्तावेजी तथ्यों से यह प्रकट होता है कि पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह जाहिर

होता हो कि अभियोजन की ओर से बताये अनुसार घटनाक्रम में मजरूबाण के कोई गम्भीर उपहति कारित हुई हो।

10– इसके अतिरिक्त जब हम पत्रावली पर उपलब्ध दौरान अनुसंधान पुलिस द्वारा लिये गये गवाहान के कथन अंतर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का अध्ययन करते हैं तो मौके पर मौजूद राजवीर सिंह एच.सी., स्वयं मजरूब विकास कानि, मजरूब कुलदीप सिंह डीआर, मजरूब सुखजीवन कुमार, महेंद्र कुमार सउनि, धर्मपाल एच.सी., रामलाल एच.सी., गुरमेल एच.सी., मनीष कुमार कानि द्वारा मुताबिक अभियोजन कहानी अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर राजकार्य में बाधा पहुँचाने, पुलिस पार्टी पर पथराव करने, मजरूब सुखजीवन के छाती पर ईंट की चोट कारित करने के तथ्य जाहिर किये हैं किंतु इनके अतिरिक्त मौके पर मौजूद राजकुमार, राम नायक, विनोद कुमार, जय प्रकाश, आत्माराम, नरेंद्र कुमार मीणा इत्यादि द्वारा अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के बयानों में अभियुक्तगण द्वारा राजकार्य में बाधा पहुँचाते हुए पुलिस मुलाजमान पर पथराव करने जिसमें मुलाजमान के चोटें लगने व सरकारी जीप क्षतिग्रस्त हाने के तथ्य जाहिर किये हैं।

11– उल्लेखनीय है कि दौरान अनुसंधान पुलिस साक्षीगण के अतिरिक्त मौके पर मौजूद स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा दी गई मौखिक साक्ष्य का मजरूबाण के चोट प्रतिवेदन के साथ समग्र रूप से अध्ययन करें तो उक्त स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य एवं मजरूबाण के चोट प्रतिवेदन पत्र से निकले निष्कर्ष से न्यायालय के समक्ष यही स्थिति प्रकट होती है कि मजरूबाण में से किसी एक के भी कोई गम्भीर उपहति कारित नहीं हुई है अपितु सभी मजरूबाण के आई चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंदालाय कारित होना जाहिर होती हैं जो कि धारा 121(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराधांतर्गत आती हैं।

12– इस प्रकार पत्रावली पर आये तमाम मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि जिन मजरूबाण के चोटें आना अभियोजन कहानी में वर्णित किया गया है और जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 121(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध बाबत आरोप पत्र पेश किया गया है, अभिलेख पर आये चोट प्रतिवेदन के अवलोकन के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि मजरूबाण के आई

उक्त चोटें गम्भीर प्रकृति की ना होकर उनके शरीर पर साधारण चोटें आना जाहिर होता है जिसके मद्देनजर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 121(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध का आरोप की विरचना किये जाने के पर्याप्त आधार विद्यमान नहीं है। हालांकि मजरूबाण के चोट प्रतिवेदन से उनके शरीर पर साधारण चोटें आना जाहिर होती हैं जो धारा 121(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध की परिधि में आती हैं। अतः इन तमाम तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 121(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 का आरोप नहीं बनना पाये जाने से उन्हें धारा 121(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध के आरोप से उन्मोचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

चूंकि इस प्रकरण में उक्त वर्णित विवेचन से अभिलेख पर दर्शित तथ्यों से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 121(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अतिरिक्त भी आरोप पत्र में वर्णितानुसार धारा 132, 324(2), 190, 191(2)(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट का आरोप बनना पाया जाता है जो कि उक्त समस्त अपराध अनन्य रूप से सेशन स्तरीय न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य न होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य हैं। जिसे दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण बाबत इस सेशन न्यायालय को सुनवाई का अधिकार क्षेत्र न होने से इस प्रकरण को सुनवाई हेतु पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13– निष्कर्षतः अभियुक्तगण (1) रविंद्र यादव उर्फ कलू पुत्र श्री गंगा सिंह, (2) गंगा सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह, (3) अमृतपाल उर्फ बड़े लाल पुत्र शयम्बर गुप्ता, (4) दीपक यादव पुत्र गंगा सिंह यादव, (5) लखन पुत्र मेघ सिंह, (6) अजय कुमार पुत्र शियम्बर गुप्ता, (7) सतीश उर्फ सतिया पुत्र हरीचंद, (8) सूरज पुत्र सुदामा, (9) आशुतोष पुत्र इंद्रमणी, (10) रावल कुमार उर्फ राहुल पुत्र डोमन उर्फ डोब (11) रामू पुत्र रमेश, (12) हरविंद्र पुत्र महावीर, (13) विक्रम पुत्र बुधनदास, (14) रामदेव पुत्र दिनेश दास, (15) लक्ष्मी देवी पत्नी गंगा सिंह, (16) माला देवी पत्नी दीपक, एवं (17) सोना देवी पत्नी अमृतलाल उर्फ बड़ेलाल को **धारा 121(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध के आरोप से उन्मोचित** किया जाता है।

CNR No. RJSG010016382025

इसके अतिरिक्त उक्त वर्णित विवेचन से अभियुक्तगण के विरुद्ध 121(1), 132, 324(2), 190, 191(2)(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट के अपराध में विधिनुसार विचारण हेतु, प्रकरण को धारा 251(1)(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

विचारण न्यायालय में प्रकरण की पेशी 07.04.2026 तय की जाकर उक्त अभियुक्तगण को पाबंद किया जाता है कि वे उक्त पेशी पर निश्चित रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

इस आदेशिका की सत्यप्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, श्रीगंगानगर से उपार्पित होकर प्राप्त हुई नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्या 324/2025 CIS No. 9095/2025 राज्य बनाम रविंद्र यादव वगै. की **पत्रावली मय आवश्यक दस्तावेज** उक्त अधीनस्थ न्यायालय को पेशी 07.04.2026 से पूर्व नियमानुसार अविलम्ब प्रेषित किये जावें।

न्यायालय हाजा की इस सेशन प्रकरण पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह सेशन प्रकरण फैसलशुमार होकर पत्रावली बाद तकमीलन एवं खारजा दाखिल अभिलेखालय हो।

(कमल लोहिया)

14– आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल लोहिया)

VISHU CHAWLA
Steno grade I
"Authenticated document"
Digitally signed by VISHU CHAWLA
Date: 2026.03.19 16:53:40 +0530